

निर्णय बटवाडा जिला सिद्धांत सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
प्र०सं० 54/2019 रेवाड निर्णय दिनांक :-30.12.2019

अनवान

01. श्री कालु पिता चनगिंग रेवारी आयु बालिग निवासी माण्डावाडा तहसील देवगढ़

—वादी

बनाम

01. श्री घना पिता चनगिंग जाति रेवारी आयु बालिग निवासी माण्डावाडा तहसील देवगढ़
02. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार सा० तहसील देवगढ़

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

उपस्थित :- श्री प्रदीप कुमार वकील वादी।

:- निर्णय :-

पत्रावली आज दिनांक 30.12.2019 को पेश हुई। तहसीलदार देवगढ़ ने आदेशानुसार बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर पेश किया जिसका अवलोकन किया। बंटवाडा प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है। बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार निम्नांकित आराजियात वादी एवं प्रतिवादी सं० 01 के संयुक्त खाते की भूमि का बंटवाडा निम्न प्रकार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में खाते भी अलग-अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

ग्राम बीडा देवगढ़ पटवार हल्का स्वादडी बी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में स्थित आराजियात

ग्राम - बीडा देवगढ़

1. श्री कालुसाम पिता चनगिंग रेवारी निवासी माण्डावाडा के हिस्से व खाते :-

आराजी नं०	रकबा	किस्म	लगान
275/28	16-06-10	मगरी	0-98

2. श्री घना पिता चनगिंग रेवारी निवासी माण्डावाडा के हिस्से व खाते :-

आराजी नं०	रकबा	किस्म	लगान
268/28	16-06-10	मगरी	0-98

वादी वादग्रस्त कृतिया भूमि के लगान की 05 गुणा राशि के नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प पेश कर पर नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जावे प्रायः हेतु तहसीलदार देवगढ़ को निर्णय की प्रति भेजी जावे।
निर्णय सर्रे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फंसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला - राजसमन्द

डिग्री व मुकदमे इब्तदाई

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला-राजसमन्द
निर्णय बड़जलारा शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
प्र0सं0 54/2019 रे.वाद निर्णय दिनांक :-30.12.2019

अनवान

01. श्री कालु पिता चनणिंग रेवारी आयु बालिग निवासी माण्डावाडा तहसील देवगढ़

—वादी

जाम

01. श्री धन्ना पिता चनणिंग जाति रेवारी आयु बालिग निवासी माण्डावाडा तहसील देवगढ़
02. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार सा0 तहसील देवगढ़

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 5 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

उपस्थित :- श्री प्रदीप कुमार वकील वादी।

पत्रावली आज दिनांक 30.12.2019 को पेश हुई। तहसीलदार देवगढ़ ने आदेशानुसार बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर पेश किया जिसका अवलोकन किया। बंटवाडा प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है। बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार निम्नांकित आराजियात वादी एवं प्रतिवादी सा0 01 के संयुक्त खाते की भूमि का बंटवाडा निम्न प्रकार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं इसी अनुसार एंटर रेकार्ड में खाते भी अलग-अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

ग्राम बीडा देवगढ़ पटवार हल्का खादडी बी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में स्थित आराजियात


ग्राम - बीडा देवगढ़

1. श्री कालुराम पिता चनणिंग रेवारी निवासी माण्डावाडा के हिस्से व खाते :-

आराजिी नं0	रकबा	किस्म	लगान
275/28	16-06-10	मगरी	0-98

2. श्री धन्ना पिता चनणिंग रेवारी निवासी माण्डावाडा के हिस्से व खाते :-

आराजिी नं0	रकबा	किस्म	लगान
268/28	16-06-10	मगरी	0-98


सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला-राजसमन्द

